ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-4* May- 2021
Innovation The Research Concept

मानवाधिकारों का महिलाओं पर प्रभाव
Impact of Human Rights on Women

Paper Submission: 06/05/2021, Date of Acceptance: 20/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

लाला राम मीना
सह आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
स्व.प.न.कि.श.राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दौसा, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्तमान काल में मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है उसके अस्तित्व व गरिमा की, समाज में प्रतिष्ठा व सम्मानजनक जीवन जीने की मानव की गरिमा उसकी स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व की भावना में निहित है और यही भावना विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं 'शांति की आधारशिला है। मानवीय गरिमा व अस्तित्व की रक्षा हेतु मानवाधिकार अपरिहार्य है। मानवाधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो किसी मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए आवष्यक है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को मात्र मनुष्य होने के कारण प्राप्त है, जो अहरणीय, अविभाज्य एवं अन्तर्निर्भर है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जा सकता। किन्तु जैसा कि रूसों ने कहा था, ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किन्तु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है।

The biggest challenge before the human race in the present times is its existence and dignity, the dignity of human beings to lead a dignified and dignified life in the society lies in their sense of liberty, equality and fraternity and this is the spirit of freedom, justice and peace in the world. is the cornerstone. Human rights are indispensable for the protection of human dignity and existence. Human rights refers to such rights which are necessary for the all round development of a human race. These rights are available to all persons only because they are human beings, which are inalienable, indivisible and interdependent, in which no discrimination of any kind can be done. But as Rousseau said, "Man is born free, but is chained everywhere.

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधानों, धार्मिक निर्योग्यताओं, अस्पृश्यता, असमर्थता, संक्रमण, अनुसूचित जातियों और जनजाति, एकाधिकार, शोषण, बेगार, दलित, असमानता, मानवाधिकार

Empowerment, Constitutional Provisions, Religious Disabilities, Untouchability, Disability, Infection, Scheduled Castes And Tribes, Monopoly, Exploitation, Forced Labor, Dalit, Inequality, Human Rights

प्रस्तावना

मानवाधिकार मनुष्य को अपने अधिकारों के साथ–साथ दूसरे के अधिकारों का सम्मान व समुदाय के प्रति कर्त्तव्यों का पालन किया जाना है व मनुष्य की गरिमा व अस्तित्व, स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों की आस्था व्यक्त करते है। लेकिन उक्त अधिकारों के पश्चात् वर्तमान में मानव जाति जितनी उत्पीड़न की शिकार है, पहले कभी नहीं थी और इसमें सर्वाधिक पीड़ित है नारी। नारी उत्पीड़न की घटनाएं द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ती जा रही है।

नारी समाज का अभिन्न अंग होने के बावजूद पुरूष सत्तात्मक समाज में लिंग–भेद की परम्परा सदैव विद्यमान रही है और नारी की प्रस्थिति दौयम दर्जे की रही। धर्म, सम्प्रदाय, जाति, रंग, जन्म आदि असमानताओं एवं विभेदों की उत्पत्ति लिंग–भेद की अवधारणा के पश्चात् ही हुई, और इस परम्परा ने न केवल नारी का शोषण किया बल्कि अधिकारों से भी वंचित रखा। जिसके परिणामस्वरूप आज महिलाओं को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, भारतीय संविधान व कानून एवं न्यायालयों द्वारा कई अधिकार प्रदान किये गये, फिर भी पिछले वर्षो में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लघंन हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ।

मानवाधिकार का अर्थ

मानवाधिकार सामान्यतया, वे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते, प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के जन्म के साथ ही प्राप्त होते है। ये आधारभूत अधिकार किसी भी नागरिक के बौद्धिक, शारीरिक–मानसिक

सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है अर्थात् मानवाधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो किसी मानव प्राणी के सर्वागीण विकास के लिए परमावश्यक है।

प्रो. आर्शीर्वाद्म के अनुसार, ''अधिकार मनुष्य को प्रकृति से मिले है और उसके व्यक्तित्व में निहित हैं, वे मनुष्य की प्रकृति के वैसे ही अंश है जैसे उसके शरीर की त्वचा का रंग है।

लॉस्की ने लिखा है, ''अधिकार मानव जीवन की परिस्थितियां है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।

अतीत की गोद से प्रस्फुटित हुआ मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, प्रसंविदाओं, घोषणाओं तथा संधियों में प्रतिबिम्बित होता है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्टों के संविधानों, अधिनियमों और न्यायपालिका न्याय के वितरणात्मक विनिश्चयों में समाहित है। मानवधिकार स्वतंत्र समाज में मानव के गरिमायुक्त जीवन को संचालित करने के मापदण्डों को सरकार के माध्यम से प्रवर्तित कराने के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते है और ये अधिकार मानव जीवन की स्वतंत्रता, समता, गरिमा, सौहार्द्र और न्यायिक अभिधारणाओं को उजागर करने के साधन है।

मानवाधिकारों का महिलाओं पर प्रभाव के उद्वेश्य

1. मानव अधिकारों से महिला अधिकारों की सार्वभौमिक सामाजिक स्वीकृति मिलि ।
2. मानव अधिकारों से महिलाओं में शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ।
3. मानव अधिकारों से महिलाओं में रूढ़िवादी मान्यताओं, प्रथाओं परम्पराओं समाप्त हुई।
4. मानव अधिकारों से महिलाओं में व्यापक जन चेतना का विकास हुआ।
5. मानव अधिकारों से अवसरों की समता विरोधी रूढ़िवादी मान्यताओं, प्रथाओं परम्पराओं समाप्त हुई।
6. मानव अधिकारों से कानूनों को कारगर रूप से लागू किया जाये।
7. मानव अधिकारों से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई।
8. महिलाए मानवाधिकार संस्थाओं से सशक्त हुई।
9. मानव अधिकारों से महिलाओं सम्बन्धी शोध को प्राथंमिकता।

मानवाधिकारों का उदय

मानवाधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1940 में श्रीमती इलेनोर रूजवेल्ट ने किया। लेकिन इस अवधारणा का अस्तित्व प्राचीनकाल से ही रहा है। मानव अधिकारों के प्रतिबिम्ब को सर्वप्रथम हामूराबी संहिता में देखा जा सकता है, जिसमें न्याय प्रशासन, विवाह और परिवार के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। यूनानी सभ्यता में मानव अधिकारो को प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अधिकारों में आंकलित किया, जिसमें मुख्य अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता व सभी का समान आदर आदि थे। रोमन दर्षन में मानवाधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में नैतिक, न्याय, युक्तिसंगत, सार्वभौम, अपरिवर्तनीय और शाश्वत प्राकृतिक सिद्धान्तों पर आधारित माना गया है। सिसरो ने कहा है कि प्राकृतिक विधि सदैव समान है। महाभारत में शांति पर्व में शासक के आचरण और राजस्व के सिद्वान्त के बारें में कहा गया है। अर्थषास्त्र में प्रजा के कल्याण को ही राजा का कल्याण व सम्राट अशोक ने प्रजा को अपनी सन्तान की तरह माना जाता था।

मध्यकाल में कैथोलिक धर्म ने प्राकृतिक कानून का सिद्धान्त वे आधुनिक काल में प्राकृतिक न्याय व अधिकारों की स्थापना की। मिल्टन ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कही तो वहीं जॉन लॉक ने सभी के समान अधिकारों की बात कही। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धान्त दिया और मिल ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की बात सामने रखी। 1776 में अमरीकी क्रान्ति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की जिसमें कहा गया कि हमारे लिये यह स्वयं सिद्ध सत्य है कि सभी मनुष्य जन्म से समान है। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता के नारे दिये।

अतः यह कहना समीचीन होगा कि मानवाधिकारों का उदय व्यक्ति के अस्तित्व में आते ही प्रारम्भ हो गया किन्तु इसका स्वरूप सभ्यता के साथ–साथ परिवर्तित होता गया। परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण प्रारम्भ का आत्रक्षा का अधिकार, समाज के अस्तित्व में आने के समय प्राकृतिक अधिकार के रूप में, सामाजिक समझौते का अधिकार बना जिन्हें राजसत्ताओं के जन्म के पश्चात् राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं विधिक अधिकार कहा गया और इन अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है।

मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि का इतिहास प्रकृति के नियमो से प्रारम्भ होकर मानव कीम चरमोत्कृष्ट सभ्यता के इतिहास पर आधारित है। मानव संघर्ष की गतिविधियों के करण ही मानव ने एक–दूसरे राष्ट्रो पर आक्रमण किया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अषान्ति का वातावरण उत्पन्न होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक व बाह्य रूप से मानवधिकारों का उल्लंघन किया। मानवाधिकारों के आन्तरिक उल्लंघन का इतिहास चिरकाल से चला आ रहा है, क्योंकि इसका सम्बन्ध राष्ट्र विशेष की सत्ताओं के साथ रहा है। अतः मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार शब्द की घोषण हुई व अमेरिका मानवाधिकार के संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा।

मानवाधिकार अस्तित्व में कैसे आया?

प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध अमरीकी व फ्रांस की क्रान्ति, आदि घटनाओं ने विश्व को गहरे रूप से झकजोर कर रख दिया। व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा संहार, स्त्री–पुरूष व बच्चों की मौत, युद्ध में सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार, स्त्री–पुरूष को गुलाम बनाकर रखना स्त्रियों के साथ आदि मानवाधिकार के निर्माण की पृष्ठभूमि में है। इस प्रकार की अमानवीय व वीभत्स परिस्थितियों में मानवाधिकार का जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार में आया।

अनुच्छेद 55 में मानवाधिकारों को व्यापक रूप से संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, स्थिरता और मानव कल्याण की ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए, जो विभिन्न जन–समाजो के समान अधिकारों और आत्म

निर्णय के सिद्धान्त के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण व मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के लिए आवष्यक है।

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार

(क) उच्चतर जीवन स्तर, सबके लिए रोजगार, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति तथा विकास की परिस्थितियों को बढ़ावा देगा।

(ख) आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य विषयक तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के समाधान को तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देगा।

(ग) नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म का विभेद किये बिना सबके मानवाधिकारो और मूल स्वतंत्रताओ के लिए सार्वभौमिक सम्मान की भावना तथा उसके पालन की वृत्ति को बढ़ावा देगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई और इसके सदस्य राष्ट्रों की आम सहमति से 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई और तभी से 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

महिलाओं के मानवाधिकार

इतिहास का अवलोकन किया जाए तो महिला मानवाधिकार का बीजारोपण यूनानी काल से ही हो गया था। प्लेटो ने महिलाओं के साम्यवाद में समानाधिकार की चर्चा की व आदर्ष राज्य में स्त्री पुरूष के लिए समान षिक्षा व अन्य अधिकारों का समर्थन किया वहीं अरस्तु ने महिलाओं को दासों के समकक्ष रखते हुये नागरिकता तक देने से इन्कार कर दिया। मिल ने महिलाओं के मताधिकार की सशक्त पैरवी की। औद्योगिक क्रान्ति ने महिलाधिकार की अवधारणा को गति दी महिलाओं ने स्वयं संगठित होना शुरू किया और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सीमोन द बोउवार ने कहा कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व के अनेक राज्यों में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था। न्याय, समानता एवं अधिकारों के लिए प्रथम महिला अधिकार सम्मेलन वर्ष 1848 में अमेरिका में ही सम्पन्न हुआ। हालांकि इसके पूर्व गर्भपात निरोधक अधिनियम, (1803 ब्रिटेन) सती प्रथा अधिनियम (1829 भारत) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856 भारत) जैसे कई प्रयास किये जा चुके थे।किन्तु इस प्रयासों में समाज सुधारकों एवं जन आन्दोलनों का प्रत्यक्षत प्रभाव था, न कि स्वयं महिलाओं का। वर्ष 1840 से ब्रिटेन एवं अमेरिका में मताधिकार हेतु महिलाओं के आन्दोलन की परिणति नेषनल वूमेन : 'सफरेज एसोसिएशन' (1869 अमेरिका) के रूप में हुई, जिसका विश्वव्यापी प्रभाव यह रहा कि महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार का अधिकार (न्यूजीलैण्ड 1893, फिनलैण्ड 1907, डेनमार्क 1915, जर्मनी 1919, अमेरिका 1920, आयरलैण्ड 1922, रूमानिया 1923, ब्रिटेन 1928) प्राप्त हुआ। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति और दो विश्व युद्धो में महिलाओं की दयनीय स्थिति से विश्व समुदाय का भी मन व्यथित हुआ, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की (1945) स्थापना के साथ ही महिलाओं के क्रांतिकारी प्रयास भी प्रारम्भ हुये। (संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम महिलाओं के अधिकारों एवं संरक्षण व महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए महिला आयोग (कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वूमेन, 1946) की स्थापना की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के अनुच्छेद 1,2,3,4,5,7,9 विशेषतः महिला अधिकारों को व्यापक और सशक्त बनाते है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसमय अंगीकार किया जिस पर विश्व के 40 देषों ने अपनी सहमति व्यक्त की, पुनः विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता सम्बन्धी अभिसमय महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया जो 11 अगस्त 1958 से प्रभावी हुआ। 1966 में महासभा द्वारा अंगीकृत ''नागरिक व राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 24 में स्त्री–पुरूष दोनों को विवाह करने व कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार व अनुच्छेद 10 में मातृत्व अधिकार दिया गया।

महिला अधिकारों सम्बन्धी अब तक के प्रयासों के अनुरूप तथा पूर्व प्रस्तावों को समेकित करते हुये महासभा ने महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति सम्बन्धी अभिसमय का व्यापक और विस्तृत दस्तावेज 18 दिसम्बर 1979 को अंगीकृत किया, जो 3 सितम्बर 1981 से प्रभावी हो गया। यह दस्तावेज नारी अधिकारों, उसके सम्मान और न्याय के लिए जाना जाता है। 1979 में महिला अधिकारो की सुरक्षा हेतु सीडॉ (कन्वेंषन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्सट वीमन) के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बार महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकारों को संहिताबद्ध किया, पुनः दिसम्बर, 1993 को महासभा ने न केवल महिलाओं के प्रति हिंसा दूर करने सम्बन्धी घोषणा पारित की अपितु उसके व्यापक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया।

घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा में लिंगभेद पर आधारित उन सभी कृत्यों को शामिल कर लिया गया जिनसे महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या यौन सम्बन्धी प्रताड़ना सहनी पड़ती है।

अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत इन कृत्यों को क्षेत्रीय विस्तार देते हुये घर के अन्दर–बाहर, सार्वजनिक स्थलों, यात्रा के दौरान या सरकारी कर्मचारियों के अभिरक्षा के दौरान किये गये कृत्यों को शामिल किया गया है,

अनुच्छेद 3 में यह उसकी सुरक्षा का अधिकार होगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

1. जीवन का अधिकार
2. समानता का अधिकार
3. स्वतंत्रता व व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार

प्रथमतः राजनीतिक अधिकारों (नागरिक अधिकारों) का अवलोकन किया जाए तो इनका प्रारम्भ महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन (1849) से माना जा सकता है, अब विश्व के प्रायः सभी देषों, आपवादि स्थिति में कुछ मुस्लिम राष्ट्रो को छोडकर ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारो को स्वीकार कर लिया है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके (1960) की राजनीतिक यात्रा का अनुसरण करते हुये भारत, इजरायल,

ब्रिटेन, फिलीपीन्स, कनाडा, फ्रांस आयरलैण्ड आदि देशों में महिलाएं या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष चुनी गई, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महिलाएं अनेक पदों पर कार्यरत है।

इसी सन्दर्भ में भारतीय राजनीति परिदृश्य, जहां महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश किये जाने का प्रयास गत कई वर्षो से हो रहा है। यद्यपि विश्व के किसी भी देष में इस तरह का प्रावधान नहीं हैं । भारत ने इसका श्रीगणेष 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर कर दिया है। इस आरक्षण का प्रभाव यह हुआ है कि पूरे देष में आज लाखों महिलाएं पंचायत या नगर निगम (राजनीतिक की प्रथम पीढ़ी) में सफलतापूर्वक चुनकर कार्य कर रही हैं। इससे उनकी न केवल आत्मषक्ति अपितु उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला हैं। महिलाओं की राजनीतिक यात्रा एक चुनौती भरा कदम है, और कदम–कदम पर उन्हें पुरूष–प्रधान समाज के गतिरोधों का सामना करना पड़ा है।

द्वितीयतः महिलाओं के सामाजिक अधिकार ही सर्वाधिक महत्वर्पूण और चुनौतीपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1979 के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि महिलाओं और पुरूषों की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित अधिकारों/कार्यो को अपनी विधिक व्यवस्था में स्थान देकर उन्हें क्रियान्वित करना होगाः–काम करने का अधिकार

भारतीय समाज मानवाधिकार व महिलाएँ

1. रोजगार के सम्मान अवसरों का अधिकार
2. व्यवसाय या नौकरी के चुनाव की स्वतंत्रता का अधिकार
3. समान कार्य के लिए समान वेतन
4. सेवानिवृत्ति, वृद्धावस्था बीमारी आदि की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा अधिकार
5. स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार
   इसके पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के अन्तर्गत महिलाअें को निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया हैः–
6. गरिमा, जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा (अनुच्छेद 1 व 3)
7. विधिक समानता (अनुच्छेद 1,6,7)
8. विभेदकारी प्रावधानो से सुरक्षा (अनुच्छेद 2)
9. पारिवारिक व्यवस्था व राज्य तथा समाज से सुरक्षा (अनुच्छेद 16(3)
10. व्यक्तिगत जीवन, परिवार, घर पत्राचार आदि की एकान्तता का अधिकार (अनुच्छेद 12)
11. इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा, 16 दिसम्बर 1966 के द्वारा महिलाओं के पक्ष में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है।
12. रोजगार का अधिकार (अनुच्छेद 4)
13. समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 5)
14. सामाजिक सुरक्षा (अनुच्छेद 10)
15. शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बच्चों का स्वास्थ्य विकास (अनुच्छेद 13)
16. प्राथमिक षिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था (अनुच्छेद 16)
    पुनः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की घोषणा, 16 दिसम्बर 1966 के अन्तर्गत भी महिलाओं के लिए निम्नलिखित अधिकारों को प्रदत्त किया जाना विधिक व्यवस्था का एक अंग घोषित किया गया।
17. जीवन का प्राकृतिक अधिकार (अनुच्छेद 3)
18. यातना का अमानवीय व्यवहार से संरक्षण
19. निजत्व का संरक्षण (अनुच्छेद 13)

भारतीय संविधान और महिलाएं

भारत के संविधान की उद्देषिका में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य सभी नागरिकों (स्त्री पुरूष) के लिये सुनिष्चित किये गये हैं

अनुच्छेद 15(3) के ही प्रावधानो का सहारा लेकर संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया।

अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओ को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। राज्य के इस नीति–निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिये संसद ने प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, पारित किया। यह अधिनियम कतिपय स्थापना में शिशु जन्म से पूर्व और पश्चात् भी कतिपय कालावधियों में महिलाओं के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसुति प्रसुविधा और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए पारित किया गया। इस अधिनियम में इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था है जैसे किसी स्त्री की मृत्यु की दषा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय चिकित्सीय बोनस का संदाय, गर्भपात आदि की दषा में छुट्टी बंध्याकरण ऑपरेशन के लिये मजदूरी के साथ छुट्टी गर्भावस्था प्रसव, समसपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली रूग्णता के लिये छुट्टी तथा पोषणार्थ विराम आदि।

अनुच्छेद 43, कामगारो के लिये निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है, निष्चय ही इसमें महिलाऐं भी शामिल है। इस अनुच्छेद के निर्देशों की अनुपालना में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पारित किया गया है। यह अधिनियम कतिपय नियोजनों मे मजूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिये अधिनियमित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी क्या है ? यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी जाए, उसे प्रत्येक उस नियोजक के लिये देना अनिवार्य भले ही उस नियोजक की आर्थिक स्थिति इसे देने लायक न हो।

अनुच्छेद 39 (घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान वेतन दिये जाने का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के निर्देशो की अनुपालन में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया।

अनुच्छेद 73वं व 74 वां संशोधन जो 1992 में किया गया। इसके माध्यम से, जहां तक महिलाओं के

अधिकार का प्रश्न है, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है।

अनुच्छेद 51 (क) (ड) जो मूल कर्तव्यों से सम्बन्धित है भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्त्तव्य अधिरोपित करता है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्व है।

हत्या के अलावा आये दिन नवजात कन्याओं को सड़क ट्रेनो व पालनो में छोड दिया जाता है। जिसके कारण समाज में लिंगानुपात असंतुलन बदला जा रहा है। 2011 की जनगणना का लिंगानुपात 1000:940 जो घटते लिंगानुपात को दर्शाता है। लिंगानुपात के कारण यौन हिंसा, बाल–विवाह बच्चियों का उत्पीडन कन्याओं की खरीद–फरोख्त के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो महिला मानवाधिकारों का खुल्लमखुला उल्लंघन है। केवल कानून निर्माण में पुरूषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और एक नई सोच को समाज में लानी होगी।

व्यापक संस्थागत एवं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भी हमारे समाज में महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित है अतः आवश्यक है किः–

10. महिला अधिकारों की सार्वभौमिक सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चि की जाये।
11. शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जावे।
12. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय व विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में महिला अधिकारों को समुचित स्थान दिया जाये।
13. रूढ़िवादी मान्यताओं, प्रथाओं परम्पराओं का वैज्ञानिक विश्लेषण।
14. व्यापक जन चेतना आन्दोलन (बेटी बचाओ, जन सम्पर्क कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक मेले) चलाएं जाएं।
15. अवसरों की समता विरोधी परम्परा व रूढ़ियों का उन्मूलन किया जाये।
16. कानूनों को कारगर रूप से लागू किया जाये।
17. महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वायत्तता सुनिश्चित की जाये।
18. महिला मानवाधिकार संस्थाओं को सशक्त होना चाहिए।
19. सत्यमेव जयते जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
20. महिलओं सम्बन्धी शोध को प्राथमिकता

निष्कर्ष

समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने हेतु तथा उनको मानवाधिकार प्रदान कर उनके समुचित विकास तथा उत्थान हेतु संस्थागत व वैधानिक प्रयास किये जा रहे है। इन प्रयासों से महिलाओं की सिथिति में काफी तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है, समूचे क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी पहुंच बनाई है लेकिन यह प्रयास पर्याप्त नहीं है ? विश्व के सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तीव्र गति से परिवर्तन हो, रहा है परन्तु इस परिवर्तनशील परिवेश में महिलाअें की प्रस्थिति में उतनी तीव्र गति से सुधार नहीं हुआ है। भारत विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश होने के बावजूद भी यहॉ संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? नारी सशक्तिकरण एवं नारी मुक्ति हेतु स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक समाज का पुनर्निमाण होना चाहिए तथा ऐसे समाज की स्थापना हो जहां महिलाओं का शोषण न हो तथा नारी के पॉवो में बंधी पायल रूपी जंजीर हमेशा के लिए टूट जाए और उसका आंचल उसकी गुलामी का नहीं अपितु आजादी का परचम बन कर लहराए।

ऐसा तभी हो सकता है जब हम दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के विचारों को सुनें, समझे और अभिव्यक्ति के अवसरों, सांस्कृतिक–सामाजिक विविधता तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाएं, संवादधर्मिता तथा असहमति को पल्लवित–पुष्पित होने दें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. विप्लव – भारत में महिला मानवाधिकार, 2012, राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ (यू.पी)*
2. *बी.टी थामिलमारन – हुमन राइट्स इन थर्ड वर्ड पर्सपेक्टिव, पेज नं. 97*
3. *दिलीप जाखड़ – मानवाधिकार, 2004, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि जयपुर।*
4. *डी.आर.सक्सेना – लॉ, जस्टिस एण्ड सोशल चेन्ज, पेज नं. 432*
5. *डी.डी बसु – भारतीय संविधान : एक परिचय, 1994*
6. *एस.के.बोस – इण्डियन वूमेन थ्रो एजेज, पेज नं. 121*
7. *शोभा राजोरिया – महिला और कानून 2011, ब्लू स्टार इन्दौर (म.प्र)*
8. *सुभाष शर्मा – भारत मे मानवाधिार 2009, नेषनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।*
9. *दोषी, एस.एल. एवं व्यास एन.एन. (1992) राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां हिमांशु प्रकाशन, नई दिल्ली।*
10. *बोस, एन.के (1971) ट्राईबल लाईफ इन इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।*
11. *बी.टी थामिलमारन – हुमन राइट्स इन थर्ड वर्ड पर्सपेक्टिव, पेज नं. 97* Rajapark, Jaipur.
12. *Bhawani Singh – Social Justice, Politics and Anomie, 2010, Gauttam Book Company,*
13. *Majumdar, D.N. (1963) An Introduction of Social Anthropology Asia Publishing House, Bombay.*
14. *बी.टी थामिलमारन – हुमन राइट्स इन थर्ड वर्ड पर्सपेक्टिव, पेज नं. 97* Rajapark, Jaipur.
15. *भारत की जनगणना 2011*
16. *योजना 2012*